(२९५)

निग0-4229/2018/रीवा/भू.रा0

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)</u>

1. बाबू लाल बसोर
2. श्रीनाथ बसोर
दोनो के पिता कुंजी लाल बसोर दोनो निवासी मिसिरा, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदकगण

बनाम

1. राजभान सिहं पिता फुलेल सिहं निवासी ग्राम बेला कमोद तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0
.....................अनावेदकगण
2. शासन म0प्र0

निगरानी बिरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0के प्र0क019अ5/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0के <u>अधीन निगरानी</u>

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय मे भूमि नम्वर 86/1/क/2 रकवा 0.59ए. स्थित ग्राम बेला कमोद, रा.नि.मं.रामपुर तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0 के सम्बन्ध मे अनावेदक कमांक 1 के द्वारा नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस तर्मीम सुदा भूमि के सरहददी काश्तकारो को वगैर सूचना दिये म0प्र0शासन को पक्षकार बनाकर तर्मीम की कार्यवाही अनावेदक कमांक 1 के द्वारा की गयी है जवकि जिस भू भाग का नक्शा तर्मीम अनावेदक कमांक 1 के पक्ष मे किया गया है उस भू भाग मे आवेदकगणो का कब्जा दखल अर्सा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निग0 / 4229 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला– रीवा

बाबू लाल बसोर / राजभान सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त रामपुंर, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19 / अ–5 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.12.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	